



UPLL010010632026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम / विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधि०), ललितपुर।
उपस्थित - यादवेन्द्र सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा,

J.O. CODE- UP-6123

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 291 वर्ष 2026,

प्रमोद तिवारी पुत्र द्वारिकाप्रसाद निवासी विनायक वाली गली कस्बा बिरधा
थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर

...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य

...अभियोजन पक्ष

मुकदमा अपराध संख्या 797/2022

अंतर्गत धारा 135 Electricity Act

थाना एण्टी पावर थेफ्ट ललितपुर, जिला ललितपुर।

आदेश

11-03-2026:

अभियुक्त प्रमोद तिवारी पुत्र द्वारिकाप्रसाद की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र विशेष सत्र परीक्षण संख्या 1983, उ.प्र. राज्य प्रति प्रमोद तिवारी, अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम, थाना एंटी पावर थेफ्ट ललितपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त का कथन है कि वह बेगुनाह व बेकसूर है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वादी मुकदमा ने उसको झूठा फंसा दिया है। उसने कभी भी किसी प्रकार से कोई विद्युत चोरी नहीं की है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण किया गया है। अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। इसी आधार पर अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्युत विभाग की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पर विरोध करने हेतु विद्युत विभाग का पैरोकार उपस्थित है।

जमानत आवेदन पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्त के तर्क सुने तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर दिनांक 02-05-2022 को चैकिंग के दौरान स्वीकृत संयोजन मीटर

संख्या 3523665 के मीटर की इनकमिंग केबिल के अतिरिक्त नजदीक की एल०टी० लाइन से सीधे केबिल डालकर अपने आवास परिसर में विद्युत का उपयोग करते पाये जाने का आरोप है।

अभियुक्त आत्म समर्पण करने के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। मामला इसी न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। मामले के शीघ्र निस्तारण की संभावना अत्यंत क्षीण प्रतीत होती है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का पर्याप्त आधार है।

यह भी उल्लेखनीय है, कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पत्रांक **14293/Admin. G-II Dated 04-11-2025** के माध्यम से **Crl. Misc. Application U/S 528 BNSS No. 6400 of 2025 Smt. Bacchi Devi v. State of U.P. And Another** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित **12-08-2025** के प्रस्तर क्रमांक **46** में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियुक्त/सिद्धदोष अभियुक्त से केवल एक प्रतिभू लेकर जमानत पर रिहा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुबलिग 25000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि का एक जमानत प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाता है।

(यादवेन्द्र सिंह-I),

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम /

विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम),

ललितपुर।

J.O. CODE-UP-6123